श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 280.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1989, जहां तक उनका संबंध निदेशक, (कर्मचारी प्रशिक्षण (3) / निदेशक उत्पादकता (3), उप-निदेशक, (कर्मचारी प्रशिक्षण) (7) / उप निदेशक (उत्पादकता) (4), और सहायक निदेशक, (कर्मचारी प्रशिक्षण) (3)/ सहायक निदेशक (उत्पादकता) (3), के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय में निदेशक, (कर्मचारी प्रशिक्षण/ उत्पादकता), उप-निदेशक, (कर्मचारी प्रशिक्षण /उत्पादकता) और सहायक निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण /उत्पादकता) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. लघु शीर्ष एवं आरंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (समूह 'क'-कर्मचारी प्रशिक्षण/उत्पादकता विषय संबंधी पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणो, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या गैर चयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण/उत्पादकता)	2* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रूपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिणिक और अन्य अहर्ताएं	क्या पदोन्नत कर्मचारियों के लिए आयु और अहर्ताएं की वही शर्तें लागू होंगी जो सीधी भर्ती के लिए हैं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का %
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(11)

पदोन्नति:

वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रू.) में ऐसे उप निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण / उत्पादकता) जो उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं और जिन्होंने व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पणी 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण करते हों या

(ii) वेतन मेट्रिक में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रू.) या इसके समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

अनिवार्य (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से यांत्रिकी या विद्युत या रसायन या सामुद्रिक या उत्पादन या औद्योगिक या इन्स्ट्रूमेन्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या टेक्सटाइल रसायन या टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का एसोसिएट मेम्बर।

(ii) इंजीनियरिंग वर्कशॉप या उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान जैसा कि अपर उल्लिखित है, सुसंगत शैक्षिक योग्ता के साथ 10 साल का अनुभव।

वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्र के लिए सुसंगत प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में परास्नातक की डिग्री।

(ii) पर्यवेक्षकों और अन्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के योजना या आयोजन और संचालन में अनुभव

या

इंजीनियरिंग वर्कशॉप या उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में उत्पादकता विज्ञान में अनुभव

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं हांगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय ऐसी स्थितियां जहां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संम्बंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग, – अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य 3. महानेदशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय –सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) उप निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण/ उत्पादकता)	4*(2009)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूहराजपत्रित 'क' अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपये)	चयन

(6)	(7)
40 वर्षों से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में 5 वर्षों की छूट दी जा सकती है) **टिप्पण** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। यह तारीख असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपप्रभाग और लाहौल व स्पिती जिले, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	**अनिवार्य** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक या विद्युत या रसायन या सामुद्रिक या उत्पादन या औद्योगिक या इन्स्ट्रुमेन्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग या आर्टिटेक्चर या टेक्सटाइल रसायन या प्रौद्यगिकी में स्नातक की उपाधि अथवा असोशिऐट मेंबर ऑफ इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (एएमआईई) (ii) उपर्युक्त उल्लिखित अर्हता के क्षेत्र में इंजीनियरिंग वर्कशॉप या उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 5 साल का अनुभव **वांछनीय:** (i) शैक्षणिक अर्हता में उल्लिखित ट्रेड के लिए सुसंगत प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परा स्नातक की उपाधि (ii) पर्यवेक्षकों और अन्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन, योजना या संचालन में अनुभव; या इंजीनियरिंग वर्कशॉप या उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में उत्पादकता विज्ञान में अनुभव **टिप्पण 1** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** – अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार/ संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष, विभाग द्वारा निर्धारित किए गए के अनुसार दो सप्ताह का समावेशन प्रशिक्षण की पूर्णता के अधीन।	(i) 25% संयुक्त विधि द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)+प्रोन्नति] (ii) 75% सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
संयुक्त विधि – [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) +प्रोन्नति] केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी जो (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण करते हों या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपये) या इसके समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों) (ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव प्राप्त कर चुके हों **टिप्पण 1-** विभागीय सहायक निदेशक [(कर्मचारी प्रशिक्षण/उत्पादकता), वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपये] जो उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं और व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, के आवेदन पर भी प्रतिनियुक्त अधिकारियों के मामले के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर उनका चयन होता है तो इसे प्रोन्नति माना जाएगा। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे** 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय – अध्यक्ष 2. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान – सदस्य 3. उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) सहायक निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण/ उत्पादकता)	1*(2019)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपये)	लागू नहीं होता

(6)	(7)
35 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में 5 वर्षों की छूट दी जा सकती है) **टिप्पण** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश (मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग और लाहौल व स्पिती जिले, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	**अनिवार्य** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक या विद्युत या रसायन या सामुद्रिक या उत्पादन या औद्योगिकीय या इन्स्ट्रुमेन्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या टेक्सटाइल रसायन या प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि अथवा असोशिऐट मेंबर ऑफ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग (एएमआईई) (ii) उपर्युक्त उल्लिखित अर्हता के क्षेत्र में इंजीनियरिंग वर्कशॉप या उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 3 साल का अनुभव। **वांछनीय:** पर्यवेक्षकों और अन्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के योजना, आयोजन और संचालन में अनुभव अथवा इंजीनियरिंग वर्कशॉप या उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में उत्पादकता विज्ञान में अनुभव। **टिप्पण 1** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2** – अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष, विभाग द्वारा निर्धारित किए गए के अनुसार दो सप्ताह का समावेशन प्रशिक्षण की पूर्णता के अधीन	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारकों के एक वर्ष या इससे अधिक समय के लिए अध्ययन अवकाश पर होने या लंबी बीमारी से ग्रस्त होने या प्रतिनियुक्ति पर होने या अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती की जा सकती है जो (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या (ii) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त कर चुके हों। **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कार्डर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह '(क)' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय – अध्यक्ष 2. उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य 3. उप महानिदेशक या निदेशक कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

[फा. सं.ए-12018/01/2015-आईएसएच-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 29th August, 2019

G.S.R. 280.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Director (Staff Training (3) / Director Productivity (3), Deputy Director (Staff Training) (7) / Deputy Director (Productivity) (4) and Assistant Director (Staff Training) (3) / Assistant Director (Productivity) (3), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director (Staff Training / Productivity), Deputy Director (Staff Training / Productivity) and Assistant Director (Staff Training / Productivity) in the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes under the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (Group 'A' – Staff Training / Productivity Discipline Posts) Recruitment Rules, 2019.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc..**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,-

 (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

 (ii) who, having a spouse, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts;

 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director (Staff Training / Productivity)	2* (2019). *-Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'A'. Gazetted, Non-ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78,800 – 2,09,200)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Promotion: Deputy Director (Staff Training /Productivity) with five years regular service in Level 11 in the pay matrix (Rs.67,700–2,08,700) and having completed two weeks of training in Occupational Safety and Health. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or research institutions: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700) or equivalent in parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience.: **Essential:** (i) Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine or Production or Industrial or Instrumentation or Civil Engineering or Architecture or Textile Chemistry or Textile Technology from a recognised University or Associate Member of Institute of Engineering (AMIE). (ii) Ten years' experience relevant to educational qualification mentioned as above in an engineering workshop or industry or training Institute. **Desirable:** (i) Master's Degree in Engineering or Technology relevant to educational qualification mentioned as above from a recognized University. (ii) Experience in planning, organising or conducting training programmes for supervisors and other management personnel. OR Experience of productivity science in an engineering workshop or industry or training institute.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately before appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission –Chairman; (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member; (iii) Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (Including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Director (Staff Training/ Productivity)	4 * (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service; Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 in the pay matrix (Rs.67,700 – 2,08,700)	Selection

(6)	(7)
Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	**Essential:** (i) Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine or Production or Industrial or Instrumentation or Civil Engineering or Architecture or Textile Chemistry or Technology of a recognised University or Associate Member of Institute of Technology (AMIE). (ii) Five years' experience in an engineering workshop or industry or training institute, relating to the field of qualifications mentioned as above. **Desirable:** (i) Master's Degree from a recognized university or institute in Engineering or Technology relevant the trade mentioned in educational qualifications. (ii) Experience in planning, organising or conducting training programmes for supervisors and other management personnel; OR Experience of Productivity Science in an engineering workshop or industry or training Institute.

	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year, subject to completion of two weeks of induction training as prescribed by department	(i) 25 per cent by composite method [deputation (including short term contract) plus promotion. (ii) 75 per cent by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion]: Officers under the Central Government or State Governments or Union territory administration or Autonomous organisations or Statutory Organisation or Public sector undertakings or recognized university or recognized research institutions: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level 10 in the pay matrix(Rs.56,100-1,77,500) or equivalent in parent cadre or department; and, (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental Assistant Director (Staff Training/ Productivity) in Level 10 in the pay matrix (Rs.56,100 – 1,77,500) with five years of regular service in the grade and having completed two weeks of training in 'Occupational Safety and Health' shall also be considered along with deputationists and in the event of his selection to the post, it shall be treated as promotion.	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (i) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman; (ii) Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes – Member; (iii) Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Director (Staff Training /Productivity).	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-ministerial.	Level 10 in the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500)	Not applicable

(6)	(7)
Not exceeding 35 Years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	**Essential :** (i) Bachelor Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine or Production or Industrial or Instrumentation or Civil Engineering or Architecture or Textile Chemistry or Technology of a recognised University or Associate Member of Institute of Engineering (AMIE). (ii) Three years' experience in an engineering workshop or industry or training institute relating to the field of qualification mentioned above. **Desirable:** experience in planning, organising or conducting training programmes for supervisors and other management personnel; OR experience of Productivity Science in an engineering workshop or industry or training institute. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year, subject to completion of two weeks of induction training as prescribed by department	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation

		basis from officers of Central Government: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; and (ii) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of:** (i) Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment – Chairman; (ii) Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member; (iii) Deputy Director General or Director, Factory Advice Service and Labour Institutes – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. A-12018/01/2015-ISH-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.11 20:01:55 +05'30'